कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर (राजस्थान)

क्रमांक–31   दिनांक – 27-11-25

– कार्यालय आदेश –

हाल ही में ब्यावर मुख्यालय पर दिनांक 27.09.2025 को साइबर पुलिस थाने का नवसृजन होने तथा ब्यावर जिले में आपराधिक न्याय प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मैं **कमल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक) 2018 के आदेश 35 नियम 2(क) की पालना में ब्यावर जिले में कार्यरत विभिन्न न्यायालयों में संस्थित होने वाले आपराधिक प्रकरणों के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न आदेश पारित करता हूं –

1. **न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर**

(I) पुलिस थाना ब्यावर सिटी में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण
(मोटर वाहन अधिनियम 1988 से उद्भूत एवं धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 के प्रकरणों तथा राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत संस्थित ऐसे प्रकरणों, जिनमें शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर तक हो, को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण)

(II) साइबर थाना, ब्यावर में संस्थित होने वाले समस्त प्रकरण।

(III) पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर, जवाजा, साकेत नगर, टॉडगढ, बार एवं बदनौर के क्षेत्राधिकार में संस्थित होने वाले निम्न आपराधिक प्रकरण –

A. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
B. बाट एवं माप मानक अधिनियम, 1976
C. बीमा अधिनियम, 1938
D. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
E. राज. कृषि उपज मण्डी विपणन अधिनियम, 1961
F. राज. नगर पालिका अधिनियम, 2009

(IV) सम्पूर्ण ब्यावर जिले के आबकारी वृत्त, आबकारी निरोधक दल एवं समस्त पुलिस थानों में राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो।

(V) सम्पूर्ण ब्यावर जिले के पुलिस थानों में संस्थित होने वाले निम्न विशेष अधिनियम के प्रकरण –

A. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
B. वन अधिनियम, 1927
C. राजस्थान वन अधिनियम, 1953
D. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
E. राजस्थान गोजातीय पशु (वध प्रतिषेध तथा अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995
F. सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984
G. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
H. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
I. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
J. कीटनाशक अधिनियम, 1968

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ब्यावर (राज.)

K. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

L. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

M. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

2. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

(I) पुलिस थाना ब्यावर सदर में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

3. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, ब्यावर

(I) पुलिस थाना बार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

4. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, ब्यावर

(I) पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर, जवाजा, साकेत नगर, टॉडगढ, बार एवं बदनौर में संस्थित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से उद्भूत समस्त प्रकरण एवं धारा 60 राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 के प्रकरण।

(II) आबकारी वृत्त व आबकारी निरोधक दल, ब्यावर तथा पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर, साकेत नगर, जवाजा, टॉडगढ़, बार एवं बदनौर में उत्पन्न होने वाले राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के ऐसे प्रकरण जिनमें शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर तक हो।

5. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, ब्यावर

(I) पुलिस थाना साकेत नगर में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

6. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

(I) पुलिस थाना बदनौर में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

7. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, ब्यावर

(I) महिला पुलिस थाना ब्यावर में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण

8. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, ब्यावर

(I) पुलिस थाना टॉडगढ़ में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ब्यावर (राज.)

9. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, ब्यावर

(I) पुलिस थाना जवाजा में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत उत्पन्न प्रकरणों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

10. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण

(I) पुलिस थाना रास में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(बाबरा चौकी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों, राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत संस्थित प्रकरणों तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

(II) पुलिस थाना जैतारण, रास एवं आनन्दपुर कालू में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण

(III) पुलिस थाना जैतारण, रास एवं आनन्दपुर कालू में उत्पन्न धारा 60 राज. पुलिस एक्ट 2007 के प्रकरण

11. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण

(I) पुलिस थाना आनन्दपुर कालू एवं जैतारण में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं धारा 60 पुलिस एक्ट के प्रकरणों तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण)

(II) आबकारी वृत्त एवं आबकारी निरोधक दल, जैतारण के क्षेत्राधिकार में तथा पुलिस थाना जैतारण, रास व आनन्दपुर कालू में उत्पन्न होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के ऐसे प्रकरण जिनमें शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर तक हो।

नोट–

1. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, मसूदा एवं बिजयनगर से सम्बद्ध पुलिस थानों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर को सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये विशेष अधिनियम के प्रकरणों तथा राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत संस्थित ऐसे प्रकरणों, जिनमें शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, को छोड़कर शेष क्षेत्राधिकार पूर्ववत रहेगा।

2. उपरोक्त आदेश दिनांक 01.12.2025 से लागू होगा तथा आदेश प्रभावी होने की तिथि से पूर्व के लंबित अनुसंधानाधीन प्रकरण से संबंधित नतीजे पूर्ववर्ती न्यायालय में ही पेश किये जावेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ब्यावर राज.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ब्यावर (राज.)

क्रमांक– 895 दिनांक – 27/11/2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित हैः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर जरिये श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर।
3. समस्त पीठासीन अधिकारी, ब्यावर न्यायक्षेत्र। (JM-2)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ब्यावर (राज.)

4. जिला कलेक्टर, ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि ब्यावर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को इस संबंध में सूचित करावें।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर को ब्यावर जिले के समस्त पुलिस थाना/अनुसंधान अधिकारी को सूचित करने हेतु।
6. आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर।
8. श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर।
9. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, ब्यावर।
10. खनिज अभियंता, ब्यावर।
11. वन क्षेत्रपाल, ब्यावर।
12. जिला रसद अधिकारी, ब्यावर।
13. जिला आबकारी अधिकारी, ब्यावर।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर।
15. उपनिदेशक अभियोजन, अजमेर।
16. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन संस्था, ब्यावर को न्यायक्षेत्र के समस्त बार संघ को सूचित करने हेतु।
17. प्रभारी, कण्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ब्यावर।
18. रक्षित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ब्यावर राज.